भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 945

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएफओ की आईटी प्रणाली

945. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों में बार-बार आने वाली समस्याओं से अवगत है, जिसके कारण बार-बार प्रणाली ठप्प और धीमी हो जाती है, जिससे दावों के प्रसंस्करण में बाधा उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और क्या ईपीएफओं की आईटी अवसंरचना में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या इन अपग्रेड संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ईपीएफओं के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से अधिक कार्यभार और प्रणाली क्षमता के कारण प्रचालनात्मक कठिनाइयों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): ईपीएफओ सदस्यों, पेंशनभोगियों और प्रतिष्ठानों ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल'- www.epfindia.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराता है। नियोक्ताओं, सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए ऑनलाइन सेवाओं ईपीएफओ का एकीकृत पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंतरिक प्रचालन भी कम्प्यूटरीकृत हैं। दावों पर कार्रवाई करने में आंतरिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रयोक्ताओं द्वारा धीमी प्रणाली का सामना की जा रही रिपोर्टों की प्रतिक्रिया में कई कदम उठाए गए हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस वर्जन्स का उन्नयन और निष्पादन समरूपता सहित कार्यनिष्पादन में सुधार लाना शामिल है।

इसके अलावा, ईपीएफओ द्वारा 1 लाख रुपये तक के दावों के प्रसंस्करण को स्वचालित करके छोटे दावों को फास्ट- ट्रैक करने के लिए सुधार प्रक्रिया का कार्य किया गया है। 1 अप्रैल, 2024 से 26 नवंबर, 2024 तक 1,35,74,450 से अधिक दावो का स्वतः निपटान किया जा चुका है।

ईपीएस योजना के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का एक पायलट परीक्षण दिनांक 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पूरा किया गया था जिसमें जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए 11 करोड़ रुपये से अधिक का संवितरण किया गया था। इससे सीपीपीएस पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (सीआईटीईएस) 2.01 को लागू करने का उत्तरदायित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्था सी-डैक को सौंपा गया है जिसमें कॉमन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधारित लेखांकन के साथ एकल केंद्रीकृत डेटाबेस के लिए विकेन्द्रीकृत डेटाबेस को समेकित करने हेतु महत्वपूर्ण संवर्धन और छूट मॉड्यूल के ऑनलाइन अभ्यर्पण तथा सीपीपीएस को पूर्ण रूप से शुरू करने जैसी अन्य विशेषताएं शामिल हैं। ईपीएफओ लगातार अपनी आईटी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है और अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बना रहा है।

*****